

कार्यालय-उपनिदेशक (निर्माण) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०  
नवीन फल एवं सब्जी मण्डी स्थल, राष्ट्रीय राजमार्ग-2, सिकन्दरा, आगरा।

पत्रांक: निर्माण/आगरा/निविदा/2026- 126

दिनांक:- 25-4-2026

"ई-निविदा सूचना"

वित्तीय रूप से सुदृढ़, अनुभवी, मण्डी परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों हेतु गड्डामुक्ति योजनान्तर्गत जनपद मथुरा में निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती हैं। आमंत्रित ई-निविदा की टेक्निकल बिड दिनांक 19.05.2026 को प्रातः 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जायेगी। टेण्डर डोक्यूमेन्ट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर दिनांक 05.05.2026 से दिनांक 18.05.2026 की सायं 06.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना, नियम व शर्तें एवं अन्य विवरण कार्यालय में तथा उ०प्र० सरकार की वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर देखी, पढ़ी व डाउनलोड की जा सकती है। कार्यो का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	मण्डी समिति	मरम्मत के सम्पर्क मार्गों का विवरण	कार्य की लागत अनुरक्षण अवधि सहित (रु० लाख में)	घरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (18 प्रतिशत जी०एस०टी० सहित)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मथुरा	मांट नौझील मार्ग से गढ़ी बालकिशन	36.95	3.70	6500.00	06 माह	'द'
2	मथुरा	जानू से नगला झीलम राजस्थान सीमा	42.59	4.13	7500.00	06 माह	'स'
3	मथुरा	जानू से नगला मेव	31.12	3.20	5500.00	06 माह	'द'
4	कोसीकलां	जैत से भरतिया	35.51	3.60	6300.00	06 माह	'द'
5	कोसीकलां	नगला बंजारा से राजस्थान सीमा सिरथला	31.59	3.20	5600.00	06 माह	'द'

उपनिदेशक (निर्माण)  
मण्डी परिषद, आगरा।

पृष्ठांकन एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव निदेशक/अपर निदेशक मण्डी परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
3. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
4. वित्त नियन्त्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी, परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक (निर्माण) जोन-3 मण्डी परिषद, आगरा।
6. उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) परिषद, उ०प्र० आगरा।
7. समस्त उपनिदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश
8. सम्बन्धित सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति, संभाग आगरा।
9. लेखाधिकारी/संगणक, मण्डी परिषद, आगरा।
10. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, मण्डी परिषद, आगरा।
11. पंजीकृत ठेकेदार निर्माण खण्ड मण्डी परिषद, आगरा।
12. विज्ञापन व्यवस्थापक दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण/देशरत्न, आगरा को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त "ई-प्रोक्वोरमेन्ट निविदा सूचना" को अधिकतम 120.00 वर्ग सेन्टीमीटर स्पेस में अपने-अपने समाचार-पत्रों में स्थानीय/जनपदीय संस्करण में डी०ए०वी०पी० (सरकारी) दरों पर एक दिन प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।
13. नोटिस बोर्ड।
14. निविदा पत्रावली हेतु।

उपनिदेशक (निर्माण)  
मण्डी परिषद, आगरा।

**-: मुख्य नियम व शर्त :-**

1. ई-निविदा में अंकित निविदा मूल्य उपनिदेशक(निर्माण), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद आगरा के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा छीपीटोला, आगरा में संचालित खाता संख्या- 30394467438 एवं आई०एफ०एस० कोड SBIN0000602 में तथा ई-निविदा में अंकित धरोहर धनराशि खाता संख्या- 30394467879 एवं आई०एफ०एस० कोड SBIN0000602 में जमा कर रसीद निविदा के साथ अपलोड की जायेगी तथा मूल प्रति हार्ड कापी के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि उपरोक्त खातों में निर्धारित समयावधि तक जमा करना अनिवार्य है। किसी भी कारण से निर्धारित समयावधि के उपरान्त जमा धनराशि मान्य नहीं होगी।
2. वांछित श्रेणी का पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा मूल्य एवं वांछित धरोहर धनराशि का विवरण (आर०टी०जी०एस०/नेफ्ट) दिनांक सहित जमा अपलोड करना होगा।
4. निविदा दरों की वैधता 90 (नब्बे) दिन होगी जो कि रू० 100 के मूल्य के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर लिखकर स्व हस्ताक्षर कर अपलोड/संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. श्रम विभाग में सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार का पंजीकरण होना अनिवार्य है एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति टेण्डर में अपलोड करना होगा एवं अनुबन्ध गठन के 15 दिन के अन्दर श्रमिकों का श्रम विभाग में अनुबन्धवार पंजीकरण कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. ई-निविदादाता बार काउन्सिल का सदस्य नहीं होना चाहिए जिसका शपथ पत्र अपलोड करना होगा।
7. शासनादेश संख्या 4435/छ-पु-14-06-50(7)/2006 दिनांक 02.11.2016 के अनुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (PWD T-4) व हैसियत प्रमाण-पत्र (PWD T-5) एवं रू० 100.00 के स्टैम्प पेपर पर भरकर प्रारूप (PWD T-6) पर स्व घोषणा का शपथ पत्र किसी गजटेट अधिकारी अथवा नोटरी द्वारा प्रमाणित अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण पुस्तिका के तालिका सं०-09 जिसका प्रारूप संलग्न है, के अनुसार 10.00 रू० के स्टाम्प पेपर पर निर्माणाधीन, स्वीकृत व स्वीकृति हेतु विचाराधीन निर्माण/मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में सूचना भरकर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जी०एस०टी० पंजीकरण एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति) को परिषद पत्रांक-मु०अभि०/(1168 भाग-4)/2009-325 दिनांक 19.06.2009 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत निविदा अपलोड करते समय 02 प्रतिशत की धरोहर धनराशि आर०टी०जी०एस०/नेफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी तथा अवशेष 08 प्रतिशत धरोहर धनराशि देयकों से भुगतान के समय कटौती की जायेगी, जिसके लिये आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड किया जायेगा।
10. उ०प्र० में किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नहीं होने व डिबार नहीं होने का रू० 10.00 मूल्य के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
11. 'अ', 'ब' एवं 'स' श्रेणी में पंजीकृत फर्म के टैक्निकल स्टाफ का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड का विवरण संलग्न करना होगा।
12. परिषद पत्रांक:मु०अभि०-2/(1168/भाग-4/2005)/2022-1190 दिनांक:17.11.2022 द्वारा जारी आदेश/ निर्देश के क्रम में निविदाओं की पारदर्शिता एवं अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने के उद्देश्य से पंजीकृत ठेकेदारों की Bid Capacity निर्धारण हेतु standard Bidding Document (S.B.D) में Qualification of Bidders के section 3.6 में दी गयी व्यवस्था निम्नवत् है:-  
Bidders who meet the minimum qualification criteria will be qualified only if their available bid capacity for construction work is equal to or more than the total bid value. The available bid capacity will be calculated as under.  
Assessed Available Bid Capacity = (AxNxM-B) where  
A=Maximum Value of civil Engineering works executed in any year during the last five years (updated to the price level of the last year at the @ 8% a year) taking into account the completed as well as works in progress.  
N=Number of years prescribed for completion of the works for which tenders are invited.  
(Period upto 6 months to be taken as half-year and more than 6 month as one year)  
M= is taken 2.0  
B=Value,at the current price level,of existing commitments and on-going works to be completed during the period of completion of the work for which bids are invited.  
Note- If the bidder participates in more then one bid,the bid capacity for the second bid shall be calculated by deducting the work cost of first bid.  
मण्डी परिषद में 'अ' 'ब' एवं 'स' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों के द्वारा Bid capacity की गणना उपरोक्तानुसार लो०नि०वि० में Standard Bidding Document दी गयी व्यवस्था के अनुसार की जायेगी। Bid capacity का गणना प्रपत्र एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सी०ए०) द्वारा प्रमाणित विगत पाँच वर्षों का टर्न ओवर Bidding Document के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है। मण्डी परिषद में 'द' श्रेणी में पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों पर उक्त बिड कैपैसिटी की गणना की शर्त लागू नहीं हैं।
13. उक्त कार्य हेतु मण्डी परिषद में 'अ', 'ब' एवं 'स' श्रेणी में पंजीकृत निविदादाता/फर्म/ठेकेदार द्वारा बिड डोक्यूमेन्ट टी०-1 में अंकित SBD के Instruction to be bidder के क्लॉज सं० 3.4 A(b) एवं बिड डोक्यूमेन्ट टी०-2 में क्लॉज सं० 4.4 A(b) में अंकित शर्त के अनुसार निविदा तिथि से विगत 05 वर्षों में संतोषजनक ढंग से पूर्ण किये गये समान प्रकृति के कार्य का निविदा लागत के एक तिहाई (1/3) लागत (अनुसंधान लागत को छोड़कर) का एक कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है। बिड डोक्यूमेन्ट (टी०-1 एवं टी०-2) के सेक्शन में अंकित Qualification Instruction के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर रू०-100/- (सौ रुपये) के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर वांछित सभी सूचना अपलोड करना अनिवार्य है।

13. मण्डी परिषद में 'द' श्रेणी में ₹0 40.00 (चालीस) लाख की क्षमता में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार द्वारा उपरोक्त बिन्दु सं0 12 में अंकित क्लॉज के अनुसार कराये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने पर ही ₹0 40.00 (चालीस) लाख की सीमा तक का कार्य आवंटित किया जायेगा एवं अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड न करने पर मात्र ₹0 20.00 (बीस) लाख की सीमा तक ही कार्य आवंटित किया जायेगा। मण्डी परिषद में 'द' श्रेणी में ₹0 20.00 (बीस) लाख की क्षमता में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अथवा न करने पर भी ₹0 20.00 लाख से अधिक लागत का कार्य आवंटित नहीं किया जायेगा।
14. कोषागार द्वारा जारी ₹0 100.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ ₹0 1.00 का रेवेन्यू टिकट लगाकर स्व हस्ताक्षर युक्त अपलोड करना अनिवार्य है।
15. आई0टी0बी0 के अनुसार कोई भी निविदादाता जिनका निकट सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी का कोई निकट सम्बन्धी (प्रथम रक्त सम्बन्धी अथवा उनकी पत्नी) खण्डी लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत हो अथवा संयुक्त निर्माण स्तर से अवर अभियन्ता स्तर तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए) कार्यदायी खण्ड में कार्यरत होगा, वह निविदा डालने के योग्य नहीं होगा। निविदादाता द्वारा यह शपथ पत्र भी दिया जायेगा जिसमें उसके सम्बन्धियों के नाम तथा उनके पद नाम का उल्लेख होगा जो कि कार्यदायी खण्ड व उससे सम्बन्धित जॉन कार्यालय में कार्यरत हो।
16. बिड डोक्यूमेंट्स के सेक्शन 3 में अंकित Qualification Information से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूपों पर सूचनायें/शपथ पत्र ₹0 100.00 के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराते हुए अपलोड करना अनिवार्य है।
17. आई0टी0बी0 के अनुसार ऐसे राजपत्रित अभियन्ता/राजपत्रित अधिकारी, जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए दो वर्ष से कम अवधि पूर्ण की हो, को बिना शासन की अनुमति के ई-निविदा डालने का अधिकार नहीं होगा तथा इस आषय का शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
18. अपराधिक रिकार्ड वाले फर्म/ठेकेदार निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं। अपराधिक रिकार्ड न होने का ₹0 10.00 मूल्य के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
19. उपरोक्त अभिलेख/शपथ पत्र ई-निविदा की वेबसाइट पर टेण्डर डालते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा।
20. एक या समस्त ई-निविदायें बिना कारण बतायें निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपनिदेशक (निर्माण) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद आगरा को होगा।
21. परफोरमेन्स गारन्टी शासनादेश सं0 692/23-07-2024/लोक निर्माण अनुभाग-7 आगरा दिनांक: 09 अगस्त 2024 के अनुसार न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (below) है तो उस पर कोई अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्वोरिटी नहीं ली जायेगी एवं 10 प्रतिशत से अधिक कम (below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (below) के सापेक्ष 1 प्रतिशतकम (below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्वोरिटी ली जायेगी जिसे ठेकेदार से अनुबन्ध गठन के समय जमा कराया जायेगा।
22. अनुबन्ध गठन करते समय कार्य की निविदा आगणित लागत का 10 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष में अवशेष जमानत धनराशि भारतीय स्टेट बैंक शाखा छीपीटोला, आगरा (आई0एफ0एस0सी0 कोड- **SBIN0000602** जो उपनिदेशक (निर्माण) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद आगरा के खाता संख्या- **30394467879**) में जमा करना अनिवार्य होगा।
23. जी0एस0टी0 को छोड़कर शेष अन्य समस्त करों की कटौती नियमानुसार ठेकेदार के देयकों से की जायेगी।
24. वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) से डाउनलोड किये गये फार्म/बी0ओ0क्यू0 में किसी भी तरह की भिन्नता की स्थिति में कार्यालय में अनुरक्षित निविदा फार्म/बी0ओ0क्यू0 की मूलप्रति ही मान्य होगी।
25. तकनीकी एवं फाइनेशियल बिड खुलने के बाद निविदादाताओं को ई-टेण्डर वेबसाइट पर अपलोड किये गये शपथ -पत्र, आनलॉइन जमा किये गये निविदा शुल्क एवं जमा धरोहर धनराशि की रसीद एवं अन्य अभिलेखों इत्यादि को मूलरूप में कार्यालय में तत्काल जमा किया जाना अनिवार्य है एवं न जमा करने की स्थिति पर शासनादेश सं0 3070/78-2-2018-42 आई0टी0/2017(22) दिनांक 03.01.2018 आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 आगरा, उ0प्र0 के अनुसार सम्बन्धित निविदादाता फर्म के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
26. बिल ऑफ क्वान्टी में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है जिसका भुगतान नियमानुसार अलग से किया जायेगा।
27. कार्य समाप्ति हेतु निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने की दशा में औचित्यपूर्ण कारण न होने पर SBD/T-1/T-2 में अंकित शर्तों के अनुसार फर्म/ठेकेदार पर अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित अवधि में वर्षा ऋतु का अतिरिक्त समय सम्मिलित है। वर्षा ऋतु के नाम से अलग से कोई समयवृद्धि देय नहीं होगी।
28. निर्माण कार्य सम्बन्धित मण्डी समिति को हस्तान्तरित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। हस्तान्तरण प्रपत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अन्तिम देयक का निस्तारण किया जायेगा।
29. मण्डी परिषद के आदेश संख्या: 1235 दिनांक: 15.07.2013 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के कम में शासनादेश के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले खनिजों पर रायल्टी व लेबर सेस की कटौती ठेकेदारों के बिलों से नियमानुसार की जायेगी।
30. बिटुमिन (IOCL/BPCL/HPCL) से ठेकेदार द्वारा स्वयं कय कर प्रयोग करना होगा तथा बिल की मूल प्रति कार्यालय में बिल के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं सीमेन्ट एवं सरिया भारतीय मानक संस्थान से प्रमाणित परफार्मेन्स नियमानुसार बहु विख्यात कम्पनी का ही प्रयोग किया जायेगा।
31. (अ) भवन कार्यों हेतु निविदादाता फर्म/ठेकेदार स्वयं के व्यय पर अनुरक्षण समय अवधि (Defect liability Period) कार्य पूर्ण करने की तिथि से एक वर्ष तक होगी। जमा 10 प्रतिशत जमानत धनराशि सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक स्थिति में पूर्ण होने की वास्तविक दिनांक से एक वर्ष पश्चात जिसमें एक वर्षा ऋतु सम्मिलित हो, के पश्चात कार्य के सन्तोषजनक होने की स्थिति में अवमुक्त की जायेगी।

(ब) शासनादेश सं० 17/2024/सा०-113/23-1-2024-23-1099/113/2023 दिनांक 16 जनवरी 2024 लोक निर्माण अनुभाग-1, उ०प्र०, आगरा के कम में मा० संचालक मण्डल की 170वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार मार्गों के नव निर्माण/पुर्ननिर्माण/नवीनीकरण/विशेष मरम्मत/मण्डी के आन्तरिक मार्ग कार्य हेतु निविदादाता फर्म/ठेकेदार हेतु कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि से 05 (पाँच) वर्ष तक अनुरक्षण समय अवधि (Defect liability Period), रहेगी। कार्य पूर्ण होने के एक वर्ष तक कोई अनुरक्षण के मद में कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। शेष चार वर्षों में नियमानुसार निर्धारित सीमा के अन्तर्गत अनुरक्षण चार्ज का भुगतान किया जायेगा। पी०एम०जी०एस०वाई० योजना के अनुसार 10 प्रतिशत जमा जमानत धनराशि में से 2.50 प्रतिशत धनराशि कार्य पूर्ण होने के 45 दिनों बाद, द्वितीय वर्ष पूर्ण होने पर 1.25 प्रतिशत, तृतीय वर्ष पूर्ण होने पर 1.25 प्रतिशत एवं शेष 05 प्रतिशत 05 वर्ष पूर्ण होने पर समय-समय पर क्षतिग्रस्त भाग की गुणवत्ता पूर्ण तरीके से मरम्मत कराये जाने पर व कार्य संतोषजनक स्थिति में होने पर ही जमानत धनराशि चरणबद्ध तरीके से अवमुक्त की जायेगी साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि यदि गुणवत्ता में कोई कमी पायी जाती है तो अनुबन्ध की शर्तों एवं पंजीकरण नियमावली के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी एवं कोई अनुरक्षण चार्ज जमानत धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। शासन/मण्डी परिषद आगरा द्वारा अनुरक्षण/डिफेक्ट लायबेल्टी से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाता है तो उस सीमा तक आदेश मान्य होगा।

32. ठेकेदार अपने खर्च पर सभी सामग्री के दैनिक परीक्षण करने के लिए एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला स्थापित करेगा। ठेकेदार अपने सभी प्रयोगशाला उपकरणों एवं गुणवत्ता नियंत्रक अभियन्ता की सूची प्रस्तुत करेगा जो प्रभारी अभियन्ता के निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेगा।
33. प्रथक-प्रथक कार्यों हेतु निविदा प्रपत्र मूल्य एवं धरोहर धनराशि प्रथक-प्रथक जमा करना अनिवार्य होगा।
34. परिषद पत्रांक: मु०अभि०ग्रेड-2/(1168/भाग-4/2005)/2022-641 दिनांक:11.08.2022 के अनुपालन में अन्य विभागों PWD, R.E.D, U.P.R.N.N तथा U.P.P.C.L में 'अ' एवं 'ब' श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म भी 'अ' एवं 'ब' श्रेणी के कार्यों की निविदा में भाग ले सकते हैं। उनकी निविदा प्रथम न्यूनतम आने पर अनुबन्ध गठन के समय फर्म/ठेकेदार को निविदा लागत की 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि अतिरिक्त रूप से जमा करना होगी तथा विभाग में पंजीकरण हेतु तीन दिवस के अन्दर प्रार्थना पत्र नियमानुसार देना होगा। विभाग में पंजीकरण के उपरान्त 10 प्रतिशत अतिरिक्त धरोहर धनराशि वापस कर दी जायेगी। निविदा की दरें एक समान होने पर मण्डी परिषद में पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों को वरीयता दी जायेगी। निविदा सूचना में अंकित कार्य 'अ' एवं 'ब' श्रेणी के न होने पर PWD, R.E.D, U.P.R.N.N तथा U.P.P.C.L विभाग में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं।
35. निर्माण कार्य के दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन०जी०टी०) द्वारा पर्यावरण के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशों का प्रत्येक दशा में अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन०जी०टी०) द्वारा अर्थदण्ड आरोपित करने पर वांछित धनराशि की कटौती आपके देयको से की जायेगी। निर्माण कार्य के दौरान जाली/त्रिपाल इस प्रकार से लगाया जाय कि धूल/गर्दा न उड़े तथा कार्य स्थल पर निर्माण सामग्री ट्रक/ट्रैक्टर आदि वाहनों से आपूर्ति कराते समय वाहनों को त्रिपाल आदि से ढक कर ही मंगवाया जायें।
36. किसी भी निविदादाता की सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
37. जमा धरोहर धनराशि के सापेक्ष मोबलाइजेसन के रूप में कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
38. निविदा हेतु सिस्टम फेल होने अथवा किसी प्रकार के विलम्ब के लिए मण्डी परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।
39. निविदादाता के पास स्वयं का हॉट मिक्स प्लांट/आर०एम०सी० होना चाहिए अथवा हॉट मिक्स प्लांट/आर०एम०सी० स्वामी व सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त लीज डीड होना चाहिए एवं उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र रु० 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम पर अपलोड करना आवश्यक है।
40. उपरोक्त निविदा हेतु समान प्रकृति का एक तिहाई लागत का अनुभव अपलोड करना अनिवार्य होगा।
41. पृथक-पृथक कार्यों हेतु निविदा प्रपत्र मूल्य एवं धरोहर धनराशि पृथक-पृथक जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा मूल्य व धरोहर धनराशि एक निविदा में वांछित धनराशि से अधिक धनराशि जमा करने पर भी एकल निविदा की धरोहर धनराशि तथा निविदा मूल्य के लिये धनराशि मान्य होगी। अन्य निविदा के लिये पृथक धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
42. सम्पर्क मार्ग मरम्मत कार्य हेतु शासनादेश संख्या: 753(1)/80-1-2017-89/2017 दिनांक: 03.05.2017, परिषद पत्रांक: मु०अभि०/गड्ढामुक्त/2017-120 दिनांक: 03.05.2017 एवं परिषद पत्रांक: मु०अभि०/गड्ढामुक्त/2017-160 दिनांक: 11.05.2017 में निर्धारित प्रक्रिया/व्यवस्थानुसार किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता की जांच में प्रतिकूल स्थिति पाये जाने पर ठेकेदार/निविदादाता पूर्णतः उत्तरदायी होगा तथा कार्य का अंतिम भुगतान, जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित जांच/सत्यापन टीम के द्वारा निर्गत जांच/सत्यापन आख्या प्राप्त होने के उपरान्त एवं जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरान्त नियमानुसार किया जायेगा। यदि इस उक्त प्रक्रिया के कारण अन्तिम भुगतान होने में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो उस स्थिति में किसी भी फर्म/ठेकेदार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
43. कार्यों की मात्रा में आवश्यकतानुसार विचलन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा, जिसके लिए निविदादाता बाध्य होगा।
44. भवन कार्य में ब्रिक-कोबा मद की अनुरक्षण अवधि ठेकेदार के स्वयं के व्यय पर कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि के बाद 10 (दस वर्षों) तक रहेगी, जिसके लिये फर्म/ठेकेदार को अनुबन्ध गठन के समय 100रु० के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित गारन्टी बॉन्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उपनिदेशक (निर्माण)  
मण्डी परिषद, आगरा।